

सेवा में,

श्रीमान् अंचलाधिकारी

कोडरमा अंचल।

विषय:- भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के संबंध में।

K. Chandra
महाशय
09/11/22

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं सुरेन्द्र प्रसाद वर्मा
ग्राम गुप्तो बरवाडी वाड २० पो गुप्तो थाना तिलैया
जिला कोडरमा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :-

1. मौजा बरवाडी
2. थाना तिलैया
3. थाना नं० 251
4. खाता नं० 112
5. प्लॉट नं० 160
6. रकबा 4.67 बी०
7. भूमि का किस्म रूफ्टी
8. अद्यतन रसिद नं० 0106859170
9. दा० खारजि वाद संख्या 644/95/96

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि में निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा।

सुरेन्द्र प्रसाद
विश्वासभाजन


न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या..3.7.9.../2022

आवेदक सुरेन्द्र प्रसाद वर्मा पिता राम लाल महतो, साकिन-गुमो, पोस्ट-झुमरी तिलैया, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
बरवाडीह	251	112	160	4.67	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक1.6...../.....12...../2022 को प्रस्तुत करें।



अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

अभिलेख उपस्थापित।

आम इश्तेहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-बरवाडीह, थाना नं०-251, खाता सं०-112, प्लॉट, सं०-44 वगै०, कुल रकवा-65 डी० भूमि पंजी-II के पृष्ठ संख्या-208 भाग संख्या-03 पर श्रीमती देवन्ती देवी पति भैरो कोयरी एवं श्रीमती शान्ति देवी पति राम प्रसाद कोयरी के नाम से ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में दा० खा० वाद सं०-644(ii)/1995-96 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला संख्या-7438 दिनांक 19.10.1987 द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष 2020-21 तक निर्गत है। शपथ पत्र संख्या-02 दिनांक 24.11.2022 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है। मौजा-बरवाडीह, थाना नं०-251, खाता सं०-112, प्लॉट, सं०-160, रकवा-4.67 डी० भूमि निबंधन योग्य है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-बरवाडीह, थाना नं०-251, खाता सं०-112, प्लॉट, सं०-160, रकवा-4.67 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।


अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

09.12.2022

16.12.2022